1P

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 96 / 2021 तारीख रजू 01.03.2021

घीस्या पुत्र नारायण जाति माली निवासी खण्डार ----- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार। ------ रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 30.11.2021**

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 42 / 2021 मे पारित आदेश दिनांक 27.01.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सवास काछड़ा के आराजी खसरा नम्बर 355 / 95, रकबा 1.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेहड पर संवत 2077 मे अनाधिकृत रूप से सरसों की फसल काश्त करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 355 / 95, रकबा 1 बीघा पर सम्वत 2077 में सरसों की फसल काश्त कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जिसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी हासिल नहीं की गई ना ही मौका देखा गया है, हल्का पटवारी की झूंठी शिकायत को सत्य मानकर गलत निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय को फैसला करने से पूर्व अपना पक्ष रखने व पूर्ण सुनवायी का अधिकारी नहीं देने तथा मौके की भौतिक सत्यापन नहीं करने से भी अधिनस्थ न्यायाल[illegible] खारिज किये जाने योग्य है। यह भी निवेदन किया है कि पाश्चातवर्ती के [illegible] न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध [illegible] कोई साक्ष्य नहीं [illegible] से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीक[illegible] अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.[illegible]1 को निरस्त करने [illegible]वेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:44:48 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील पेराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्ट के परिवार को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्ट को स्वंय को नोटिस की तामील करवाई गयी। बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस,फर्द नीलामी व अन्य कोई ठोस दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से में पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2021 में बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर सजा माफ की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:44:48 IST
Reason: SelfAttested